

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़  
 आदेश क्रमांक 23/118-99 दि 11.21 दिनांक चण्डीगढ़ 27-3-2000

इन्डो शिक्षा स्कूल गोहाना रोड़ रोहतक को निदेशालय के आदेश क्रमांक 23/118-99 दि 11.21 दिनांक 25-0-99 के अनुसार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से सम्बन्धता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। अथ पूर्व जारी किए गए आदेश को संशोधित करते हुए इन्डो शिक्षा स्कूल गोहाना रोड़ विद्यालय आई सी रोहतक की <sup>अनापत्ति (अनापत्ति प्रमाणपत्र)</sup> स्कूल गोहाना रोड़ रोहतक के नाम से विद्यालय को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से दसवीं स्तर तक सम्बन्धता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र ~~अनापत्ति~~ जारी किया जाता है कि विद्यालय समय समय पर जारी हो जाने वाली विभागीय की हिदायतों की पालना करता रहेगा तथा हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 के तहत जो नियम को भंग यह विद्यालय को मान्य होंगे।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

पी० के महापात्र  
 निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा

पृष्ठों/दिनांक क्रमांक तम दिनांक 27.3.2000

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी रोहतक।
- 2 एम आर आई सी स्कूल गोहाना रोड़ रोहतक।
- 3 सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा केन्द्र, कम्युनिटी, सेंटर, प्रीत विहार नई दिल्ली 110092.

प्रमाणित किया जाता है  
 जिला शिक्षा विभाग-1 27/3/2000  
 श्री निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा  
 Rsp

*(Handwritten Signature)*

Principal  
 International Bharti School  
 5th Mile Stone, Gohana Road, Rohtak  
 Aff. No. 530316 School No. 40291